छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
ब्लॉक–01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
दूरभाष क्रमांक 0771-2234192, 2234188 (Fax) email – dirwcd.cg@nic.in

''सार्वजनिक सूचना''

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत बालक देखरेख संबंधी संस्थाओं के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के ऐसे सभी स्वैच्छिक/धार्मिक संगठन/यतीम खाना/ व्यक्ति/ व्यक्तियों के समूह जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को सूचित किया गया था कि इस तरह की संस्था के संचालन के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के संबंधित विभाग से पंजीयन कराया जाना आवश्यक है ।

ऐसी सभी संस्थाएं/धार्मिक संस्थायें/यतीम खाना/व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जो बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अथवा समान प्रयोजन के लिए आवासीय बालक/बालिका देखरेख संस्थाओं का संचालन कर रहे है, उन सभी पक्षकारों को सूचना दी जाती है कि वे विज्ञापन प्रसारित होने के 1 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति जिला कलेक्टर को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें। अंपजीकृत संस्था द्वारा पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत न करने अथवा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत संस्था का संचालन करने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 42 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 42 अनुसार–
''देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों और विधि का उल्लघंन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, जो धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते हैं, ऐसे कारावास से,जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रूपये से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक तीस दिन के विलंब को एक पृथक् अपराध माना जाएगा।''

उपरोक्त प्रावधानों के तहत गैर पंजीकृत संस्थाऐं जिनके द्वारा देखरेख एवं संरक्षण के लिए बालक/बालिका को रखा गया है ऐसे सभी संस्थायें आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध मानी जावेगी तथा संस्थाओं में निवासरत बच्चे पंजीकृत/मानक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए जावेंगे एवं गैर पंजीकृत संस्थाओं/व्यक्ति/समूह के विरूद्ध किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 42 के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी ।

आवेदन करने वाली संस्थायें वांछित सभी दस्तावेज संबंधित **जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी को विज्ञापन की तिथि से एक माह के भीतर** प्रस्तुत करेंगे। **आवेदन का प्रारूप महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में तथा** http://www.cgstate.gov.in **एवं** http://www.cgwcd.gov.in **पर उपलब्ध है।**

(दिव्या उमेश मिश्रा)
संचालक
संचा. महिला एवं बाल विकास एवं
सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण समिति
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर, (छ.ग)

50रु के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के रुप में निम्न प्रारुप दिया जावे।

प्रारुप 27

नियम 21(2) और 22(2)

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक /संस्थान का विवरण :–
   - I. संस्था का प्राकार .....
   - II. संस्था /संगठन का नाम .....
   - III. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें–पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप–नियम, संस्था का ज्ञापन) .....
   - IV. संस्था/संगठन चालाने के लिए अवधि की वैधता तिथि .....
   - V. आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता .....
   - VI. एसटीडी कोड/दूरभाष संख्या .....
   - VII. एसटीडी कोड/फैक्स संख्या .....
   - VIII. ई–मेल पता .....
   - IX. क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें :–.....
   - X. क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है .....जी हां/नही.....
   - XI. बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या :–
     - (क) मनाही की तारीख .....
     - (ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है .....
   - XII. बा.सं.सं. के रुप में पंजीकरण न करने के कारण .....
2. प्रस्तावित बाल देखरेख संसथान का विवरण
   - I. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम .....
   - II. बाल देखरेख संसथा किस्म/प्रकार .....
   - III. बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित .....
   - IV. एसटीडी कोड/टेलीफोन सं. .....
   - V. एसटीडी कोड/फैक्स सं. .....
   - VI. ई–मेल पता .....
3. पंहुचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देख रेख संस्था का नाम और दूरी)
   - I. मुख्य मार्ग .....
   - II. बस स्टैंड .....
   - III. रेल्वे स्टेशन .....
   - IV. कोई अन्य पहचान .....
4. संरचना
   - I. कमरों की संख्या (पैमाइश सहित) .....
   - II. शौचालयों की संख्या (पैमाइश सहित) .....
   - III. पाठशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित) .....
   - IV. चिकित्सा कक्षों की संख्या .....
   - V. भवन के नक्शे की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रुप रेखीय योजना)
   - VI. अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए है ?

I. आग
II. भूकंप
III. कोई अन्य व्यवस्था
IV. पेय जल का प्रबंध
V. सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था
VI. कृमि/कीटाणु नाशक/नियंत्रण
VII. कचरे का निपटान
VIII. भंडारण क्षेत्र
IX. कोई अन्य व्यवस्था
X. किराया करार/भवन अनुरक्षण आकलन (जो भी लागू हो) किराया करार की प्रति संलग्न करें)

5. संस्थान/संगठन की क्षमता
   I. बालकों की संख्या (0–6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   II. बालकों की संख्या (6–10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   III. बालकों की संख्या (11–15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   IV. बालकों की संख्या (16–18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   V. ब्यक्तियों की संख्या (18–21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
6. क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है (हां/नही) ..
   .....
7. उपलब्ध सुविधाएं
   I. शिक्षा सुविधा .....
   II. प्रस्तावित स्वास्थ्य जांच प्रबंध, जांच की आवृत्ति एवं जांच के प्रकार .....
   III. कोई अन्य सुविधा जो बालक के सम्पूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी.....
8. स्टॉफ व्यवस्था (पृथक से सूची संलग्न करें)
   I. स्टॉफ की सूची का ब्यौरा .....
   II. स्टॉफ की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव .....
   III. संगठन के साझेदार .....
   IV. संगठन के प्रभारी का नाम .....
9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)
   I. पिछले 2 वर्षो में संगठन की मुख्य गतिविधियां/क्रियाकलाप
      (क) (वार्षिक रिर्पोट की प्रगति संलग्न करें)
   II. संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)
   III. परिसंप्पत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   IV. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षो के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)
   V. पिछले दो वर्षो के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   VI. अनुदान सहायताकी निधि के अन्य स्रोतों की सूची (यदि कोई हो) स्कीम/परियोजना/उद्देश्य–राशि आदि के साथ पृथक रुप से।(संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   VII. अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
   VIII. क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है ?
   IX. पिछले तीन वर्षो के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

I.	लेखापरीक्षक की रिर्पोट
II.	आय और व्यय लेखा
III.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
IV.	संगठन का तुलनात्मक (विवरण/गतिविधियॉ)

मैंने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दण्डित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केन्द्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

..... (संगठन /संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण नियम, 2016 के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं, इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तो का अनुपालन करुंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरः .....

नामः .....

पदनामः .....

पताः .....

जिलाः.....

तिथिः .....

कार्यालय मुहरः

हस्ताक्षरः

साक्षी नंबर 01 .....

साक्षी नंबर 02 .....